भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1079
3 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)

1079. श्री प्रतापराव जाधव:
शी रेबती त्रिपुरा:
श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री प्रताप राघवेंद्र:
श्री वाई देवेन्द्रप्पा:
श्री उमेश जी जाधव:
श्री अप्पासाहेब शकर जोल्ले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे लागू करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है;
(ख) आरबीएसके की शुरुआत के बाद से उसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षत्ं द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ग) क्या यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलरहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(घ) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ङ) सरकार द्वारा कार्यक्रम की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उसकी नियमित निगरानी हेतु क्या तंत्र बनाया गया है; और
(च) सरकार द्वारा देश भर के जिला अस्पताल जन्म संबंधी दोषों, कमियों और बीमारियों के इलाज के लिए पूरी तरह से प्रौद्योगिकी और दवाओं से लैस होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) का उद्देश्य बच्चों में चयनित स्वास्थ्य स्थिति-4 डी' अर्थात जन्म के समय दोष, विकासात्मक विलंब, रोग और दोषों को पहले से ही चिन्हित करना तथा उनका पूर्व प्रबंधन

करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरबीएसके का कार्यान्वयन कर रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित 109.9 करोड़ बच्चों की जांच की गई है, 8.04 करोड़ बच्चे चयनित स्वास्थ्य स्थितियों वाले चिन्हित किए गए हैं तथा 3.11 करोड़ बच्चों को आरबीएसके के तहत इसकी शुरूआत से ही वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीयक/तृतीयक परिचर्या प्रदान की गई है।

कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचलित महामारी की स्थिति के चलते आंगनवाडी और स्कूलों के बंद होने के कारण कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक आरबीएसके के लिए अनुमोदन तथा उपयोग के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे अनुलग्नक-I पर दिए गए हैं।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित 315 जिला पूर्व कार्यकलाप केंद्रों (डीईआईसी) को कार्यात्मक बनाया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संचयी विवरण अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

(ङ) इस कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं, की मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र के दौरन तथा राज्य नोडल अधिकारियों और सामान्य समीक्षा मिशनों की आवधिक बैठकों में तिमाही रिपोर्टों और वार्षिक समीक्षा के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(च) जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण की प्राथिमक जिम्मेदारी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों की है। एनएचएम के तहत राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को विकास संबंधी विलंब वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने सहित उनकी चयनित स्वास्थ्य स्थिति के व्यापक प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण सहित डीईआईसी के माध्यम से जिला अस्पतालों में अवसंरचना, अनिवार्य उपकरणों तथा अपेक्षित मानक संसाधनों के लिए सहायता दी जाती है।

एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम(आरबीएसके) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमोदन तथा व्यय-वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21, भाग-1

(लाख में रूपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17	
		अनुमोदन	उपयोग	अनुमोदन	उपयोग	अनुमोदन	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार	154.05	0.00	208.29	45.66	189.84	90.13
2	आंध्र प्रदेश	5,197.92	423.90	3,789.36	810.60	7,382.99	395.66
3	अरुणाचल प्रदेश	709.50	112.94	750.75	600.03	738.69	395.66
4	असम	7,764.47	1,507.69	6,944.39	3,949.67	8,059.36	5,036.46
5	बिहार	5,850.13	9.92	8,739.89	5,715.06	9,337.41	7,133.06
6	चंडीगढ़	171.11	121.31	207.63	0.00	163.66	0.00
7	छत्तीसगढ	3,507.36	1,641.46	3,880.90	2,481.44	5,229.10	3,202.34
8	दादरा और नगर हवेली	205.84	0.00	201.55	120.08	222.03	105.31
9	दमन	102.26	91.30	114.09	39.26	102.83	51.14
10	दिल्ली	19.92	0.00	0.00	0.00	973.04	0.00
11	गोवा	293.76	116.12	312.69	163.20	272.97	144.87
12	गुजरात	7,790.62	2,863.75	9,072.04	6,542.49	13,229.55	12,285.10
13	हरियाणा	3,801.79	2,028.18	3,203.92	2,921.99	2,932.25	2,215.30
14	हिमाचल प्रदेश	927.20	543.86	1,688.38	442.33	2,435.57	1,350.75
15	जम्मू और कश्मीर	4,459.11	1,411.83	4,656.04	3,857.37	4,272.28	3,605.88
16	झारखंड	3,500.73	0.00	2,792.19	518.24	1,755.88	600.38
17	कर्नाटक	6,460.84	3,308.20	5,991.94	4,513.89	6,322.47	5,306.68
18	केरल	4,195.54	751.79	4,097.35	3,367.51	4,031.09	4,329.13
19	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
20	लक्षद्वीप	18.80	0.45	25.40	1.91	26.17	0.48
21	मध्य प्रदेश	8,518.67	3,925.12	13,354.13	8,200.59	14,526.32	9,042.58
22	महाराष्ट्र	15,145.68	7,157.76	12,799.26	9,712.71	16,626.38	9,406.18
23	मणिपुर	854.99	78.57	1,745.97	374.06	1,912.27	416.55
24	मेघालय	1,092.03	87.53	1,110.11	995.85	1,168.88	744.78
25	मिजोरम	621.97	271.02	924.34	411.42	964.04	382.31
26	नगालैंड	458.82	115.34	439.73	119.99	512.63	205.04
27	उड़ीसा	7,248.75	3,957.82	8,307.39	6,302.50	7,651.66	7,022.39
28	पुद्दुचेरी	81.58		86.18	55.04	121.06	75.37
29	पंजाब	3,782.49	591.04	3,749.24	3,194.15	3,401.51	2,786.25
30	राजस्थान	2,427.77	9.60	6,871.45	547.37	5,839.08	3,534.44
31	सिक्किम	151.54	65.15	268.70	103.18	248.39	72.90
32	तमिलनाडु	4,715.59	0.00	4,389.05	2,418.02	8,772.83	8,469.27

33	तेलंगाना	3,189.78	0.00	4,184.78	311.35	3,356.00	2,447.01
34	त्रिपुरा	324.77	55.73	604.66	213.78	660.06	290.54
35	उत्तर प्रदेश	19,793.59	14,881.12	24,709.61	18,602.70	27,454.25	20,518.50
36	उत्तराखंड	3,523.09	2,088.81	3,390.78	2,933.50	3,410.24	3,022.17
37	पश्चिम बंगाल	11,346.21	4,682.81	11,799.49	8,682.96	10,653.77	10,833.53

नोट: 1. व्यय में वर्ष की शुरूआत में केंद्रीय तौर पर जारी निधि, राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष राशि में से व्यय शामिल है।

2. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई एफएमआर के अनुसार है। .

अनुलग्नक-I, जारी

एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम(आरबीएसके) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमोदन तथा व्यय- **वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21,** भाग-2

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20	
		अनुमोदन	उपयोग	अनुमोदन	उपयोग	अनुमोदन	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार	172.57	78.07	198.11	106.93	153.82	133.08
2	आंध्र प्रदेश	9,016.78	694.78	10,625.31	2,570.38	7,848.42	1,929.95
3	अरुणाचल प्रदेश	1,037.36	470.20	1,110.74	651.73	737.83	646.78
4	असम	7,869.22	5,574.92	6,731.83	5,919.25	7,112.38	6,227.18
5	बिहार	10,527.98	8,210.90	12,477.71	8,321.64	13,365.97	8,889.39
6	चंडीगढ़	173.93	180.05	167.03	166.53	160.03	158.04
7	छत्तीसगढ	15,803.28	4,972.53	7,266.90	5,224.67	6,333.34	4,857.09
8	दादरा और नगर हवेली	155.59	104.77	151.00	113.79	153.59	107.73
9	दमन	117.31	41.90	117.77	58.56	86.27	51.40
10	दिल्ली	2,421.86	0.00	0.00	0.00	2,495.21	0.00
11	गोवा	278.17	176.08	307.62	207.23	325.60	237.97
12	गुजरात	27,048.97	18,507.55	27,897.31	20,831.04	25,967.05	14,764.35
13	हरियाणा	3,423.90	2,640.22	3,280.76	2,899.98	3,987.94	2,857.59
14	हिमाचल प्रदेश	2,401.82	1,627.08	2,622.72	1,637.04	2,776.19	1,701.29
15	जम्मू और कश्मीर	4,844.56	3,642.48	4,946.37	4,112.17	5,338.75	3,695.49
16	झारखंड	4,202.99	930.52	3,536.89	1,787.89	3,424.64	2,208.22
17	कर्नाटक	7,982.87	6,772.73	8,145.35	5,730.87	9,798.04	6,920.95
18	केरल	7,274.24	5,717.69	6,538.78	6,669.69	9,025.19	5,106.41
19	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
20	लक्षद्वीप	23.70	0.00	14.90	0.22	0.50	0.56
21	मध्य प्रदेश	16,188.11	13,040.76	16,553.50	9,551.61	16,287.17	11,617.23
22	महाराष्ट्र	16,142.89	10,648.84	22,489.45	12,198.81	17,836.45	14,094.88
23	मणिपुर	947.60	634.85	1,623.16	1,216.13	1,334.79	615.21
24	मेघालय	1,407.82	1,051.74	1,559.15	1,202.96	1,425.27	985.71
25	मिजोरम	1,086.84	541.42	567.95	623.33	598.00	290.02
26	नगालैंड	758.72	28.43	1,429.84	187.29	318.63	188.80
27	उड़ीसा	8,424.98	7,046.79	9,174.53	7,919.67	10,126.45	9,439.99
28	पुद्दुचेरी	109.51	55.93	104.72	47.30	104.68	69.16
29	पंजाब	3,498.25	2,673.27	4,122.67	3,134.34	4,488.15	4,297.77
30	राजस्थान	7,101.88	4,185.39	8,498.26	5,564.89	10,461.66	5,735.55

31	सिक्किम	263.97	60.56	308.03	84.24	216.54	57.46
32	तमिलनाडु	9,940.13	7,050.93	8,974.34	8,914.81	9,164.27	8,811.76
33	तेलंगाना	5,409.90	1,621.56	9,283.13	1,354.47	5,734.21	3,345.56
34	त्रिपुरा	674.53	573.61	955.74	728.47	701.52	536.34
35	उत्तर प्रदेश	29,888.04	21,501.32	31,028.32	25,132.08	30,905.58	25,173.15
36	उत्तराखंड	3,188.94	2,481.80	3,484.90	2,585.05	3,237.93	2,852.23
37	पश्चिम बंगाल	11,018.03	10,320.44	7,662.92	11,187.57	13,016.20	10,883.75

नोट: 1. व्यय में वर्ष की शुरूआत से केंद्रीय तौर पर जारी निधि, राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष राशि में से व्यय शामिल है।

2. उपरोक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित की गई एफएमआर के अनुसार है। .

अनुलग्नक-I, जारी

एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम(आरबीएसके) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमोदन तथा व्यय वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21, भाग-3

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	
		अनुमोदन	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार	137.48	112.76
2	आंध्र प्रदेश	10,559.52	2,566.69
3	अरुणाचल प्रदेश	962.06	497.63
4	असम	6,230.70	5,393.93
5	बिहार	12,761.99	11,360.38
6	चंडीगढ़	154.30	75.76
7	छत्तीसगढ	6,218.30	4,541.79
8	दादरा और नगर हवेली	66.43	154.11
9	दमन		
10	दिल्ली	134.28	0.00
11	गोवा	23,828.96	12,836.69
12	गुजरात	4,128.05	2,641.10
13	हरियाणा	6,661.84	5,960.88
14	हिमाचल प्रदेश	2,314.30	1,626.75
15	जम्मू और कश्मीर	5,118.46	4,237.79
16	झारखंड	5,319.06	1,892.21
17	कर्नाटक	7,238.59	7,837.88
18	केरल	19,443.60	14,163.90
19	लद्दाख	485.56	318.77
20	लक्षद्वीप	3.20	0.19
21	मध्य प्रदेश	17,796.99	6,901.13
22	महाराष्ट्र	4,209.74	3,859.77
23	मणिपुर	1,242.09	447.89
24	मेघालय	1,547.29	1,261.83
25	मिजोरम	606.37	530.43
26	नगालैंड	324.11	176.26
27	उड़ीसा	12,035.06	9,351.63
28	पुद्दुचेरी	101.31	45.00
29	पंजाब	8,763.55	8,396.31
30	राजस्थान	10,850.44	5,176.99

31	सिक्किम	208.49	53.09
32	तमिलनाडु	5,538.14	8,175.54
33	तेलंगाना	473.74	235.11
34	त्रिपुरा	744.69	562.61
35	उत्तर प्रदेश	33,454.64	26,787.70
36	उत्तराखंड	3,290.57	2,649.49
37	पश्चिम बंगाल	12,481.76	9,685.38

नोट: 1. व्यय में वर्ष की शुरूआत से केंद्रीय तौर पर जारी निधि, राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष राशि से व्यय शामिल है।

2. उपरोक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित की गई एफएमआर के अनुसार है। .

अनुलग्नक-2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित डीईआईसी संचयी स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीईआईसी परिचालन
1	अंडमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	16
3	अरुणाचल प्रदेश	3
4	असम	7
5	बिहार	9
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	7
8	दादरा और नगर हवेली	1
9	दमन	0
10	दिल्ली	0
11	गोवा	2
12	गुजरात	21
13	हरियाणा	21
14	हिमाचल प्रदेश	0
15	जम्मू और कश्मीर	22
16	झारखंड	0
17	कर्नाटक	13
18	केरल,	14
19	लद्दाख	2
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	38
22	महाराष्ट्र	26
23	मणिपुर	5
24	मेघालय	3
25	मिजोरम	2
26	नगालैंड	0
27	उड़ीसा	30

28	पुद्दुचेरी	1
29	पंजाब	5
30	राजस्थान	12
31	सिक्किम	1
32	तमिलनाडु	34
33	तेलंगाना	10
34	त्रिपुरा	1
35	उत्तर प्रदेश	4
36	उत्तराखंड	4
37	पश्चिम बंगाल	1
भारत		**315**

****